आत्मनिर्भर एवं समृद्ध हिमाचल का संकल्प

''आगामी पांच वर्षों के दौरान हिमाचल को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने की हमारी संकल्पना है इसके लिए हम प्रदेश के हर नागरिक से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। सरकार प्रदेशवासियों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण की भावना से कार्य करेगी। सत्ता हमारे लिए जनसेवा का साधनमात्र है। हमारा ध्येय तो आत्मनिर्भर एवं समृद्ध हिमाचल है।

पन्द्रह अप्रैल हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए विशेष महत्व का दिन है तथा ऐतिहासिक भी क्योंकि इसी दिन स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक आठ महीने बाद 1948 में छोटी–बड़ी 30 रियासतों के विलय के साथ प्रदेश अस्तित्व में आया। 1948 में अपनी यात्रा शुरू कर प्रदेश के लोगों ने गत 60 वर्षों में प्रदेश का वर्तमान स्वरूप हासिल करने के लिए कई उतार–चढ़ाव देखे।

इसके विकास में आने वाली बाधाओं का मुकाबला कर यह साबित कर दिया कि गरीबी पहाड़ की नियति नहीं। प्रदेश के मेहनतकश लोगों ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति एवं उच्च मनोबल से यह साबित कर दिया कि इस अवधि के दौरान प्रदेश में हुए अभूतपूर्व विकास का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश की साक्षरता दर जो वर्ष 1948 में मात्र 7 प्रतिशत थी, बढ़कर आज 77 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय 240 रूपये से बढ़कर 39819 रूपये हो गई है। प्रदेश के अस्तित्व में आने के समय केवल 331 शिक्षण संस्थाओं के साथ अपनी यात्रा शुरू करने वाले इस पहाड़ी प्रदेश में आज लगभग 17 हजार शिक्षण संस्थाएं प्रदेशवासियों की शैक्षणिक जरूरतों को बखूबी पूरा कर रही हैं।

वर्तमान सरकार को सत्ता संभाले अभी तीन महीने ही हुए हैं। यह अवधि किसी भी सरकार की कारगुजारी को आंकने के लिए पर्याप्त नहीं। फिर भी हमारी सरकार ने अपने वायदों की पूर्ति, जन कल्याण एवं विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया गया है ताकि लोगों से किए गए वायदों को जल्दी से पूरा किया जा सके।

हमें विरासत में भारी– भरकम ऋण देनदारियों मिली हैं। बिगड़ी अर्थ–व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। परन्तु हमें इसकी चिन्ता नहीं प्रदेश के लोगों की सेवा तथा प्रदेश का तीव्र एवं संतुलित विकास हमारा ध्येय है और हम इस पर निरन्तर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने अनुत्पादक खर्चों में कमी लाकर वित्तीय अनुशासन एवं मितव्ययिता को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया है ताकि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाई जा सके।

''हम प्रदेश के तीव्र विकास को सुनिश्चित बनाकर प्रदेशवासियों को सामाजिक– आर्थिक न्याय दिलाने के प्रति वचनबद्ध हैं। प्रदेश की बागडोर संभालते ही हमने सबसे पहले मजदूरों की दिहाड़ी को 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने का निर्णय लिया जिससे प्रदेश के 5 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर, राज्य के 2,37,250 सामाजिक सुरक्षा पैंशनधारकों को लाभान्वित किया गया है।''

राज्य सरकार प्रदेशवासियों को एक प्रभावशाली, साफ– सुथरा एवं पारदर्शी प्रशासन देने के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार ने राज्य में सत्ता संभालते ही जनसेवा से जुड़े सभी विभागों में जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है। हम लोगों को एक स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील सरकार देना चाहते हैं और इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं।

सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, सम्पन्नता एवं स्वावलम्बन प्रदेश सरकार का संकल्प है। हमारा प्रयास है कि विकास योजनाओं एवं जन कल्याण कार्यक्रमों के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचें।

हम प्रदेश के तीव्र विकास को सुनिश्चित बनाकर प्रदेशवासियों को सामाजिक– आर्थिक न्याय दिलाने के प्रति वचनबद्ध हैं। प्रदेश की बागडोर संभालते ही हमने सबसे पहले मजदूरों की दिहाड़ी को 75 रूपये से बढ़ाकर 100 रूपये करने का निर्णय लिया जिससे प्रदेश के 5 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 200 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये कर, राज्य के 2,37,250 सामाजिक सुरक्षा पैंशनधारकों को लाभान्वित किया गया है। इससे पहले भी भाजपा सरकार ने ही अपने पूर्व शासनकाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 120 रूपये से बढ़ाकर 200 रूपये किया था। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों में उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। भैया दूज तथा रक्षा बंधन जैसे त्योहारों पर महिलाओं को अवकाश के अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

प्रदेश सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए 2400 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना स्वीकृत करवाने में सफल रही है जोकि गत वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रूपये अधिक है। प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के तहत गत वर्ष 231 करोड़ रूपये के परिव्यय के मुकाबले इस वर्ष 594 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 2,82,316 बी.पी.एल. परिवारों को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के अन्तर्गत लाने का फैसला भी किया गया है। इसमें लाभार्थियों को 30 हजार रूपये का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा जिस पर 750 रूपये के वार्षिक प्रीमियम में उन्हें मात्र 30 रूपये वार्षिक ही देने होंगे। इसी प्रकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा की गई है जिससे लगभग 3 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मातृशक्ति बीमा योजना के बीमा लाभ को दोगुना कर, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रूपये तथा किसी अंग की क्षति पर 25 हजार रूपये किया गया है। प्रदेश में बुनकरों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है जिससे राज्य में बुनकर व्यवसाय से जुड़े लगभग 20 हजार परिवार लाभान्वित होंगे।

प्रदेश सरकार ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। शारीरिक रूप से अक्षम उद्यमियों को प्लॉट तथा शेड आवंटित करने के लिए एक नई योजना आरम्भ की गई है ताकि उन्हें विभिन्न व्यवसायों में स्वरोज़गार के अवसर मुहैया करवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों को दसवीं पूर्व छात्रवृत्ति देने हेतु 90 लाख रूपये के परिव्यय के साथ एक छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की गई है जिसके तहत इस वर्ग के लगभग 10 हजार विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष औसतन 900 रूपये प्रति छात्र छात्रवृत्ति मिलेगी।

प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रूपये की लागत से डा. भीम राव अम्बेदकर भवनों का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए 6.80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

किसी भी समाज को जागरूक व सशक्त बनाने में शिक्षा का अहम योगदान रहता है। प्रदेश सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने आधारभूत ढांचा सृजित किए बगैर राज्य में बिना बजट प्रावधान के ही बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान खोल दिये थे। शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष के दौरान शिक्षकों के 18,000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक माहौल में सुधार लाने के दृष्टिगत स्कूल परिसरों में कार्य दिवस पर सामाजिक एवं राजनीतिक समारोहों के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और कार्य दिवस के दौरान विद्यार्थी व अध्यापक किसी भी प्रकार के राजनीतिक एवं सामाजिक समारोहों में भाग नहीं लेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में योग शिक्षा आरम्भ करने का भी निर्णय लिया है। राज्य में पंजाबी एवं उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए चिन्हित 100–100 स्कूलों के लिए पंजाबी तथा उर्दू भाषा अध्यापकों के 100–100 पद स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य की प्राथमिकता है। प्रदेश में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने डॉक्टरों के 250 पद भरने का निर्णय लिया है। नर्सों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के 1000 पद भी शीघ्र भरे जाएंगे। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्ची फीस को समाप्त कर दिया गया है जिससे राज्य के समस्त 13 लाख परिवार विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत एक योजना तैयार की है जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 250 आयुर्वेदिक क्लीनिक, रेफरल अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 70 क्लीनिक तथा क्षेत्रीय अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 10 वार्ड खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने मण्डी, ऊना तथा हमीरपुर जिलों में निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी से निजी क्षेत्र में तीन मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है।

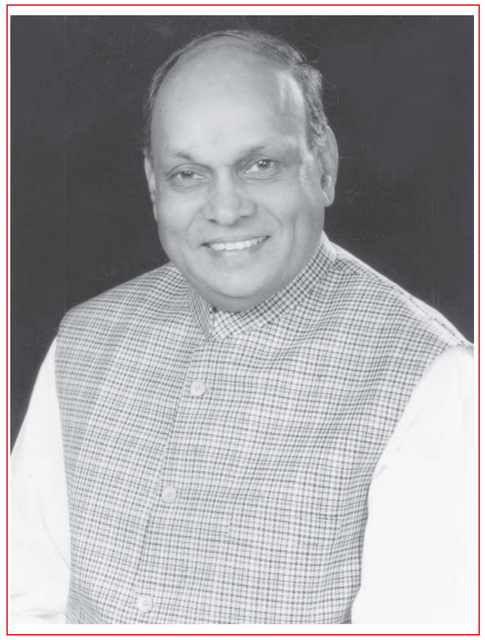

प्रो. प्रेम कुमार धूमल मुख्य मंत्री का हिमाचल दिवस पर आलेख

किसान एवं बागवान वर्ग का कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सूची में सर्वोपरि है। सरकार ने कृषि, ग्रामीण विकास तथा सिंचाई के लिए योजना परिव्यय में 664.81 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है जो कुल योजना आकार का 28 प्रतिशत है। सरकार ने किसानों को निःशुल्क मिट्टी परीक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है और उन्हें कृषि विभाग के विशेषज्ञों द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के बारे में उचित परामर्श दिया जाएगा। सरकार ने कृषि बीमा योजना के तहत 50 प्रतिशत प्रीमियम वहन करने का निर्णय लिया है। हिमफैड द्वारा दुग्ध उत्पादकों से खरीदे जाने वाले दूध में 2 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है जिससे दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसान लाभान्वित होंगे। कांग्रेस सरकार ने खैर की लकडी को छाल समेत निर्यात करने की शर्त लगा रखी थी जिसे हमारी सरकार ने हटा दिया है ताकि खैर लकड़ी की परिवहन लागत में कमी से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो सकें।

राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक योजना आरम्भ की गई है जिसके तहत राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर प्रगतिशील किसानों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। बागबानों को उनके उत्पाद के लाभप्रद मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में मण्डी मध्यस्थता योजना कार्यान्वित की जा रही है। नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 50 पैसे प्रति किलो की दर से वृद्धि की गई है।

प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय शहरी निकायों को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयासरत है। इन संस्थाओं के लिए गत वर्ष के 87 करोड़ रूपये के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में 131 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। शहरी निकायों की नियमित आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से व्यवसायिक परिसम्पतियां सृजित करने की एक योजना आरम्भ की गई है जिसके तहत पार्किंग स्थलों एवं व्यवसायिक परिसरों के निर्माण में आने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय शहरी निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई है जिससे इन संस्थाओं के लगभग 25 हजार प्रतिनिधि लाभान्वित होंगे। पंचायत सहायकों को पंचायत सचिवों की तरह ही चैक हस्ताक्षरित करने की वित्तीय शक्तियां प्रदत्त की जा रही हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रदेश के सभी जिलों में आरम्भ कर दी गई है जिसके तहत जॉब कार्ड धारकों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित बनाया जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के निर्माण, लघु सिंचाई योजनाओं तथा वर्षा जल हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सड़कें राज्य के विकास की जीवन रेखाएं हैं। प्रदेश सरकार राज्य में सड़क निर्माण तथा अधोसंरचना विकास, जिसमें जल विद्युत ऊर्जा भी शामिल है को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। सड़क, पुल तथा परिवहन क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए 374.15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है जोकि कुल योजना आकार का 16 प्रतिशत है। प्रदेश में सड़क सुविधा से वंचित सभी 460 पंचायतों को वर्ष 2008–09 के दौरान सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना को पुनः आरम्भ करने का निर्णय लिया है जिसके लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ताकि प्रदेश में सम्पर्क मार्ग सुविधा से वंचित सभी गांवों को सड़क से जोड़ा जा सके। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य की बद्दी– चण्ड़ीगढ़ तथा भानुपल्ली– बिलासपुर–बैरी रेल लाइन के कार्य को शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया है ताकि इन्हें 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरा किया जा सके। बिलासपुर के बैरी में एक ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों के साथ– साथ ट्रांसपोर्टर भी लाभान्वित होंगे।

प्रदेश के तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित बनाने में जल विद्युत ऊर्जा क्षेत्र एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए सरकार ने 328.24 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं जो कुल योजना आकार का 14 प्रतिशत है। इससे राज्य में जल विद्युत क्षमता के तीव्र दोहन में मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 5 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को खुली बोली द्वारा आबंटित करने का निर्णय लिया है ताकि इन परियोजनाओं के आवंटन में पारदर्शिता लाई जा सके। प्रदेश में 100 मेगावाट से अधिक क्षमता की 12 जल विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें आवंटित किया जाना है, को वर्ष 2008 के अन्त तक पारदर्शी व खुली बोली प्रक्रिया के तहत आवंटित किया जाएगा। राज्य में जल विद्युत क्षमता के तीव्र दोहन को सुनिश्चित बनाने के लिए शीघ्र नए ऊर्जा निदेशालय का गठन किया जाएगा।

''गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घो णा की गई है जिससे लगभग तीन लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मातृशक्ति बीमा योजना के बीमा लाभ को दोगुना कर, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये तथा किसी अंग की क्षति पर 25 हजार रुपये किया गया है। प्रदेश में बुनकरों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है जिससे राज्य में बुनकर व्यवसाय से जुड़े लगभग 20 हजार परिवार लाभान्वित होंगे।''

प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है जिसमें प्रदेश के लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के साथ–साथ पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में विकसित किये जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के लिए घोषित औद्योगिक पैकेज को 2013 तक बढ़ाए जाने का मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया गया है। प्रदेश के लिए औद्योगिक पैकेज एन.डी.ए. सरकार की देन है जिसे प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप दिया गया था लेकिन यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में इसे घटाकर 2010 तक सीमित कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए केवल बंजर भूमि का ही अधिग्रहण किया जाएगा। प्रदेश में शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति तैयार की जाएगी जिसमें उद्यमियों के लिए सड़क, ऊर्जा, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के साथ–साथ विशेष आकर्षक प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया जाएगा। सोलन जिला के नालागढ़ उप मण्डल के दवनी में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 500 बीघा भूमि को विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 4781.97 करोड़ रूपये निवेश के छः सीमेंट प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है जिससे प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ होने के अतिरिक्त क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

प्रदेश में पर्यटन विकास की आपार संभावनाएं मौजूद हैं। हिमाचल में हरे–भरे वन, कल–कल करती नदियां, प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थल तथा स्वच्छ वातावरण कुछ ऐसे आकर्षण हैं जिनकी बदौलत हमारा यह पहाड़ी प्रदेश दिन प्रतिदिन देश–विदेश के पर्यटकों के लिए पंसदीदा पर्यटक स्थल बनता जा रहा है। राज्य के देहाती क्षेत्रों में साहसिक एवं ग्रामीण पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। समृद्ध वर्ग के पर्यटकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार हेली–टैक्सी सेवा आरम्भ करने पर भी विचार कर रही है।

कर्मचारी वर्ग सरकार की रीढ़ है क्योंकि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में उसका अहम योगदान रहता है। प्रदेश में नई स्थानान्तरण नीति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं। प्रदेश के कर्मचारियों एवं पैंशनभोगियों के लिए नवम्बर, 2006 से 5 प्रतिशत अंतरिम राहत जारी की गई है जिससे राजकोष पर 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ा है। प्रदेश सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए भी वचनबद्ध है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण विभागों में 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके 13205 दिहाड़ीदारों की सेवाएं नियमित की जा रही हैं। सरकार ने ईमानदार एवं कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मान देने की नई योजना भी आरम्भ की है। प्रदेश के लिए तीन नई भारतीय रिजर्व बटालियनें स्वीकृत की गई हैं जिनमें प्रदेश के 3000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। महिला रिजर्व बटालियन बिलासपुर में स्थापित की जाएगी।

प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 26 हजार अवसर सृजित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के 2374 पद भरने का निर्णय लिया है जिनमें ग्राम रोजगार सेवक के 1081, तकनीकी सहायकों के 750, बागवानी विकास अधिकारी व बागवानी विस्तार अधिकारियों के 120–120 पद, शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों के 398 पद, कनिष्ठ अभियन्ताओं के 40 पद तथा सिविल जजों के 15 पद शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य अपराध जांच विभाग को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है ताकि सिंचाई विभाग को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है ताकि राज्य पुलिस में आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक व वांछित सुधार किया जा सके। प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के दृष्टिगत प्रारम्भिक परीक्षाओं में प्रमाण पत्र संलग्न करने की अनिवार्य शर्त में छूट दी गई है। प्रदेश में स्थापित उद्योगों एवं जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचलियों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित बनाये जा रहे हैं और इस अनिवार्य शर्त की अनुपालना की निगरानी के लिए मुख्य मंत्री कार्यालय में 'मॉनीटरिंग सैल' स्थापित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ विभिन्न अन्तरराज्यीय मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में सफल रही है जिनमें चण्डीगढ़–बद्दी सड़क को जून, 2009 तक पूरा करने सहित शाह नहर परियोजना, बद्दी को प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली के साथ सुपर हाईवे से जोड़ने तथा आनन्दपुर साहिब और श्री नैनादेवी जी के लिए रज्जु मार्गों का निर्माण जैसे मामले प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रदेश सरकार गर्मियों में पंजाब को 300 मैगावाट बिजली की आपूर्ति करने तथा सर्दियों में पंजाब द्वारा हिमाचल प्रदेश को इसी अनुपात में विद्युत आपूर्ति करवाने के बारे में पंजाब सरकार को सहमत करवाने में सफल हुई है। आगामी पांच वर्षों के दौरान हिमाचल को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने की हमारी संकल्पना है इसके लिए हम प्रदेश के हर नागरिक का सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। सरकार प्रदेशवासियों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण की भावना से कार्य करेगी। सत्ता हमारे लिए जनसेवा का साधन मात्र है। हमारा ध्येय तो आत्मनिर्भर एवं समृद्ध हिमाचल का निर्माण है।

●●●